# कार्यालय कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, संभाग कमांक–1 छिन्दवाड़ा

email-cereschhindwara@mp.gov.in

कमांक/174 /निविदा/ग्रायासे/2026 छिन्दवाड़ा, दिनांक 19 /05/2026

## संशोधित निविदा आमंत्रण सूचना कमांक 01/2026–27

म0प्र0 के राज्यपाल की ओर से ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग कमांक 01 छिन्दवाड़ा के अंतर्गत निम्नांकित निर्माण कार्यो हेतु केन्द्रीयकृत ई–पंजीयन व्यवस्था अंतर्गत सिविल श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से सिविल निर्माण कार्य हेतु ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग की दिनांक 11.04.2022 से प्रभावशील दर अनुसूची (निविदा विज्ञप्ति जारी होने की दिनांक तक संशोधित) एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से विद्युत/ यांत्रिकी निर्माण कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग की दिनांक 01.01.2024 से प्रभावशील दर अनुसूची (निविदा विज्ञप्ति जारी होने की दिनांक तक संशोधित) प्रतिशत दर पर तालिका के कॉलम कमांक 5 में अंकित पीएसी अनुसार 02 लिफाफा पद्धति में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा निविदा प्रपत्र एपेडिक्स 2.10 में निर्धारित तिथि (Key Date) अनुसार ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती है आमंत्रित निविदा शासन के पोर्टल http://mptenders.gov.in पर देखी जा सकती है।

निविदा संशोधन से संबंधित जानकारियां आनलाईन देखी जा सकती है। पृथक से प्रकाशित नही की जाएगी। विवरण निम्नानुसार हैः–

| क0 | सिस्टम टेंडर न0 | कार्य का नाम | विकास खण्ड | निविदा लागत पीएसी (लाखों में) | अमानत राशि (रूपये में) | निविदा प्रपत्र का मूल्य | समयावधि (वर्षाकाल सहित) | आमंत्रण कमांक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 2026_RES_506299 | शासकीय हाई स्कूल भवन निर्माण कार्य अहरवाडा में बिजली फिटिंग कार्य ग्राम अहरवाडा | हर्रई | 9.20 | 18400.00 | 2000.00 | 2 माह | प्रथम |
| 2 | 2026_RES_506301 | संत रविदास म.प्र. हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम मर्यादित सौंसर में मरम्मत कार्य ब्लाक सौंसर | सौंसर | 3.08 | 6160.00 | 2000.00 | 1 माह | प्रथम |

**निविदा संबंधित तिथियॉः– (Key Dates)**

| | | |
|---|---|---|
| 1- | Document Download/Sale Start Date | 15.05.2026 (11:00AM) |
| 2- | Technical Bid Submission Start Date | 15.05.2026 (11:00AM) |
| 3- | Technical Bid Submission End Date | 23.05.2026 (06:00PM) |
| 4- | Bid Openning Date | 25.05.2026 (11:00AM) |

### बिड जमा करते समय प्रस्तुत किये जाने वाले अनिवार्य दस्तावेज

**Cover लिफाफा-A**

1. जीवित केन्द्रीयकृत ई–पंजीयन प्रमाण पत्र(सविल वर्क के लिए सिविल श्रेणी में पंजीकृत एवं विद्युत कार्य हेतु विद्युत श्रेणी पंजीकृत पंजीयन अनिवार्य होगा)
2. जीवित जीएसटी प्रमाण पत्र
3. पैन कार्ड की प्रति
4. पोर्टल से ऑन लाईन निविदा प्रपत्र कय करने की ई–रिसिप्ट (स्व प्रमाणित)
5- शपथ पत्र राशि रू0 100/–की मूल प्रति स्कैन कर अपलोड करना अनिवार्य है।(मय नोटरी) प्रत्येक कार्य के लिये पृथक–पृथक प्रोफार्म–बी (Annexure-B)
6- ठेकेदार/फर्म का विवरण (Annexure-H)
7. अमानत राशि (एफडीआर) ऑन लाईन के रूप में मान्य रहेगी जो कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग कमांक–1 छिन्दवाड़ा के पक्ष में देय हो कि ई–रिसिप्ट
8. कर्मचारी भविष्यनिधि संगठन

Cover लिफ़ाफा-C

निविदाकार द्वारा निविदा दर जो कि ऑन लाईन ही प्रस्तुत करनी होगी ।

**– निविदाकार हेतु शर्तेः–**

1. निविदा प्रपत्र 2.10 ठीक प्रकार से अध्ययन कर लेवें। समस्त निविदाकारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम दिवस की प्रतीक्षा न करें तथा अपनी बिड शीघ्रताशीघ्र प्रस्तुत करें। वेबसाईट में किसी प्रकार की असुविधा के लिये विभाग उत्तरदायी नहीं है। किसी भी निविदाकार के चाहने पर निविदा प्रस्तुत करने की तिथि में वृद्धि नहीं की जावेगी।

2. निविदाकार भली–भांति उक्त कार्य हेतु जी शेडयूल का अवलोकन कर लेवें। जी शेडयूल में समाहित सभी कार्य करना अनिवार्य है। प्राक्कलन एवं ड्राइंग का अवलोकन संबंधित कार्यालय कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग क्रमांक–1 छिन्दवाड़ा में कर लेवें।

3. निविदा प्रपत्र वेबसाईट https://mptenders.gov.in पर ऑन लाईन भुगतान कर टेण्डर डाक्यूमेंट क्रय किया जा सकता है।

4. प्रत्येक निविदा के साथ निविदाकार को ऑन लाईन बिड जमा करते समय निविदा की कंडिका–2 में उल्लेखित दस्तावेज आवश्यक रूप से आनलाईन अपलोड करना अनिवार्य है अन्यथा निविदा मान्य नहीं की जावेगी

5. निविदाकार को प्रत्येक निविदा के लिये निविदा की कंडिका 2 में उल्लेखित स्वप्रमाणित दस्तावेज ऑन लाईन अपलोड करने होगें।

6. निर्माण कार्य संबंधी अन्य विवरण संबंधित कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग क्रमांक–1 छिन्दवाड़ा में कार्यालयीन दिवस व कार्यालयीन समय में देखी जा सकती है ।

7. वित्तीय प्रस्ताव एवं अन्य दस्तावेज किसी भी स्थिति में आफलाईन (हार्डकापी) में मान्य नहीं होंगें। यदि वित्तीय प्रस्ताव एवं अन्य दस्तावेज मोहरबंद लिफाफे में या किसी भी प्रकार से आफ लाईन दिया गया तो वह बिड अमान्य कर दी जायेगी। निविदा स्वीकृति पश्चात अनुबंध के समय शपथ पत्र की मूल प्रति जमा करना अनिवार्य है।

8. निविदाकार के द्वारा ऑन लाईन अपलोड किये गये समस्त दस्तावेज निविदा (निविदा शर्तो की कंडिका–2 अनुसार) सही पाये जाने पर वित्तीय ऑफर कार्यालय कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग क्रमांक–1 छिन्दवाड़ा द्वारा खोले जावेगें।

9. सशर्त, कटी–फटी अथवा ओव्हर राईटिंग की निविदा मान्य नहीं की जावेगी ।

10. निविदाकार निविदा प्रतिस्पर्धा में भाग लेने के पूर्व संबंधित अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा से संपर्क कर कार्य स्थल का ठीक प्रकार से निरीक्षण आवश्यक रूप से कर लेवें तथा निर्माण कार्य में उपयोग होने वाली निर्माण सामग्री की उपलब्धता/परिवहन के संबंध में भी भली–भांति अवलोकन कर लेवें, जो निविदाकार के लिये श्रेयश्कर होगा।

11. पूर्ण निविदा प्रस्ताव ऑन लाईन दिनांक एवं समय के अनुसार ही मान्य किये जावेगें ।

12. ठेकेदार पृथक–पृथक निविदा के साथ अमानत राशि ऑन लाईन के रूप में पृथक–पृथक मान्य की जावेगी ।

13. निविदाकार/फर्म द्वारा प्रत्येक कार्य के लिये पृथक–पृथक निविदा प्रस्तुत करनी होगी ।

14. यदि कोई ठेकेदार एक से अधिक फर्मो में पार्टनर अथवा प्रोप्रायटर हो तो ऐसी फर्म द्वारा एक ही कार्य के लिये अलग–अलग प्रस्तुत नहीं की जावे। अन्यथा फर्मो द्वारा प्रस्तुत निविदायें निरस्त कर दी जावेगी ।

15. निविदाकार किसी भी विभाग में ब्लेक लिस्टेड नहीं होना चाहिये यदि ऐसा पाया जाता है तो संबंधित निविदाकार/ठेकेदार की निविदा/अनुबंध समाप्तं कर दिया जावेगा।

16. श्रम संविदा एक्ट के अन्तर्गत जीवित लेबर लायसेंस होना चाहिए। श्रम विभाग द्वारा निर्धारित दरों पर मजदूरी का भुगतान किया जाना अनिवार्य होगा। विवाद की स्थिति में ठेकेदार स्वयं उत्तरदायी होगा।

17. कार्य करने के दौरान किसी भी श्रमिक की दुर्घटना का उत्तरदायित्व संबंधित ठेकेदार का होगा।

18. विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण/वनक्षेत्र आदि में लागू नियमों के पालन का उत्तरदायित्व ठेकदार का होगा ।

19. आई.सी.आई.सी.आई. लिमिटेड बैंक के लिखिते (Instrument) मान्य किये जावेगे।

20. परफारमेंस एवं लायबिलिटी के रुप में शासन के नियमानुसार 5 प्रतिशत डिफेक्ट लायबिलिटी के रुप में अनुबंध के पूर्व किसी भी राष्टीकृत/कर्मिशियल बैंक में जमा एफ.डी.आर. जो संयुक्त रुप से संबंधित कार्यालय कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग कमांक-1 छिन्दवाड़ा के पक्ष में देय हो, जमा करनी होगी।

21. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा पंजीकृत फर्म को एफ.डी.आर. एवं अन्य शुल्कों में प्राप्त छूट मान्य नहीं की जावेगी। निविदा अनुसार बिन्दु 2 में उल्लेखित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करनें पर संबंधित ठेकेदार द्वारा निविदा निरस्त कर दी जावेगी।

22. विद्युतीकरण के कार्यो हेतु Schedule of Rates (SOR) For Electrical works लोक निर्माण विभाग द्वारा विद्युतीकरण के कार्य हेतु जारी दर अनुसूची प्रभावशील दिनांक 01.01.2024 अद्यतन संशोधनों सहित लागू किया जावेगा।

23. निविदा स्वीकृत करने व अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा। कार्य में किसी भी प्रकार का विलंब होने पर अथवा किन्ही भी परिस्थितियों में मूल्य वृद्धि देय नही होगी।

24. निविदा स्वीकृती LOA जारी होने के 15 दिवस में निविदाकर को अनुबंध करना होगा अन्यथा निविदा स्वीकृति स्वतः समाप्त मानी जावेगी। सक्षम अधिकारी को अधिकार होगा कि संबंधित निविदाकार की एफडीआर राजसात कर, कार्य की पुनः निविदा आमंत्रित करें।

25. निविदाकार द्वारा अनुबंध दिनांक से कार्य प्रारंभ नहीं किया जाता है, तो स्वीकृत निविदा स्वतः निरस्त हो जावेगी तथा सक्षम अधिकारी को अधिकार होगा कि निविदाकार द्वारा जमा राशि एफडीआर तथा परफारमेन्स सिक्योरिटी की राशि राजसात कर पुनः निविदा आमंत्रण की कार्यवाही की जावेगी।

26. म0प्र0 शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक 7409/22/वि-10/ग्रायांसे 2024 भोपाल दिनांक 05.11.2024 द्वारा प्रमुख अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, भोपाल के आदेश क0/1936 दिनांक 18.05.2020 को अधिकृमित करते हुये लोक निर्माण विभाग का आदेश क्रमांक एफ-53/02/2011/यो/19/5788 भोपाल दिनांक 25.10.2011 ग्रामीण यांत्रिकी सेवा में लागू करते हुये ऐसी निविदाएं जिनमें निविदादर एसओआर से 10 प्रतिशत कम से भी कम आती है, को अव्यवहारिक दर (Unworkable Rates) मानी जाकर निविदा प्रतिशत के अंतर की अतिरिक्त फरफारमेंस गारंटी ली जावेगी।

27. म0प्र0 शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक 7409/22/वि-10/ग्रायांसे 2024 भोपाल दिनांक 05.11.2024 द्वारा प्रमुख अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के पत्र क्रमांक 2492 दिनांक 03.05.2018 द्वारा रु0 50.00 लाख से अधिक लागत की निविदाओं के लिये प्री-क्वालिफिकेशन की शर्त को अधिकृमित करते हुये रु0 1.00 करोड से अधिक लागत की निविदाओं के लिये प्री-क्वालिफिकेशन की शर्त लागू की जाती है।

28. निविदाकार को निविदा में उल्लेखित कार्य की समानुपातिक रुप से प्रगति देते हुये निर्माण कार्य समयावधि में पूर्ण करना अनिवार्य होगा।

29. निर्माण कार्यो में नर्मदा नदी की कोर्स सेण्ड अथवा मानक गुणवत्ता की रेत का ही उपयोग करना अनिवार्य होगा ।

30.. प्रत्येक देयक के भुगतान के साथ खनिज गौण संपदा का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत होगा अन्यथा नियमानुसार प्रत्येक देयक से उपयोग की गई सामग्री का रायल्टी कटौत्रा किया जाकर राशि खनिज मद में जमा की जावेगी। कार्य में प्रयुक्त होने वाली सामग्री का उपयोग निविदा दस्तावेज में उल्लेखित मेन्डेटरी टेस्ट सूची अनुसार प्रयोगशाला परीक्षण कराये जाने के उपरांत किया जावें।

31. ठेकेदार को विभाग द्वारा निर्धारित स्पेशीफिकेशन एवं प्राक्कलन में किये गये प्रावधान के अनुसार निर्माण कार्य संपादित करना अनिवार्य होगा।

32. ठेकेदार को निर्माण से संबंधित आरसीसी डिजाईन, कार्य प्रारंभ के पूर्व सक्षम अधिकारी/कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग को प्रस्तुत कर अनुमोदन कराना होगा। तत्संबंध में शुल्क का वहन ठेकेदार को करना होगा।

33. निविदा से संबंधित अन्य जानकारी (ड्राईग, डिजाईन एवं शर्ते) संबंधित कार्यालय कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग कमांक-1 छिन्दवाड़ा में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर देखी जा सकती है।

34. कार्य स्थल पर निर्माण सामग्री की सुरक्षा/देखरेख की जिम्मेदारी निविदाकार की होगी।

35. म0प्र0 शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भोपाल के पत्र कमांक 8255/22/वि–10/ग्रायासे/कौशल/2009/भोपाल दिनांक 29.12.2009 के अनुसार समस्त प्रकार के निर्माण कार्यो (डामरीकृत मार्ग को छोड़कर ) हेतु परफारमेन्स एण्ड डिफेक्ट लायबिलिटी की गारंटी अवधि, कार्य की वास्तविक पूर्णताः तिथि के पश्चात् 24 माह तक रहेगी। गारंटी अवधि में ठेकेदार को देय राशि की कुल 10 प्रतिशत राशि अंतिम भुगतान के पश्चात् रोककर रखी जावेगी। इस हेतु सुरक्षा जमा के रुप में 5 प्रतिशत राशि के अतिरिक्त, डिफेक्ट लायबिलिटी के रुप में 5 प्रतिशत राशि इस प्रकार कुल 10 प्रतिशत राशि ठेकेदार के बिल से काटी जावेगी। अनुबंधानुसार ठेकेदार से डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड 2 वर्ष की अवधि में समय–समय पर संधारण कार्य कराया जावेगा। अन्यथा की स्थिति में सुरक्षा निधि राजसात करते हुए, उस राशि से संधारण कार्य कराया जावेगा।

36. विकास आयुक्त कार्यालय म0प्र0 भोपाल का पत्र कमांक 4162/22/वि–10/ग्रायांसे/2015 भोपाल दिनांक 24.07.2015 लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी नवीन निविदा प्रपत्र ऐपेंडिक्स 2.10 में बिड डाटा एवं कान्ट्रेक्ट डाटाशीट में किये गये संशोधन नियमों एवं म0प्र0 शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भोपाल के पत्र कमांक 66/22/वि–10/ग्रा.यां.से./19 दिनांक 04.01.2019 के माध्यम से जारी एसओआर दिनांक 04.01.2019 से ग्रामीण यांत्रिकी सेवा की निविदा प्रकिया में संशोधन लागू होगा।

37. निविदा प्रपत्र में निहित प्रावधान अनुसार ठेकेदार को कार्य हेतु दी गई समयावधि के एक चौथाई, आधे एवं तीन चौथाई भाग में निर्धारित भाग में माईल स्टोन अनुसार कार्य करना बंधनकारी होगा।

38. भारत सरकार वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग के नोटिफिकेशन नम्बर 3/2022 सेन्ट्रल टैक्स रेट दिनांक 13.07.2022 एवं म0प्र0 शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भोपाल के पत्र कमांक 4246/वि–10/ग्रायासे/2022 दिनांक 11.11.2022 द्वारा 18 प्रतिशत जीएसटी लागू किया गया है, पृथक से देय होगा तथा समस्त ठेकेदार पर बंधनकारी होगा।

39. ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग में विद्युतीकरण कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग की दिनांक 01.01.2024 से प्रभावशील दर अनुसूची (निविदा विज्ञाप्ति जारी होने की दिनांक तक संशोधित) लागू होगी।

40. निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत संबंधित विभाग को हस्तांतरण करने का दायित्व निविदाकार का होगा।

41. जीएसटी के संबंध में शासन द्वारा वर्तमान एवं भविष्य में समय–समय पर नियत किये जाने वाले कर का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। तथा संबंधित ठेकेदार के देयक से जीएसटी का नियमानुसार कटौत्रा/भुगतान किया जावेगा।

42. निविदाकार को वर्क प्रोग्राम प्रस्तुत करना होगा। निविदा प्रपत्र 2.10 के बिड डाटा शीड अनुसार निविदाकार द्वारा कंस्ट्रक्शन प्रोग्राम प्रस्तुत नहीं करने पर 50,000/- प्रति माह फील्ड लेबोटरी स्थापित नहीं करने पर रु0 50,000/- प्रतिमाह एवं तकनीकी अमले को नहीं लगाने पर रु0 25000/– प्रतिमाह पेनाल्टी की कार्यवाही की जावेगी। वर्क प्रोग्राम के अनुसार अपेक्षित प्रगति नहीं देने पर ठेकेदार का अनुबंध विखंडित कर अमानत राशि जब्त कर रिस्क एण्ड कास्ट पर पुनः निविदा आमंत्रित की जावेगी जिसकी जबावदारी ठेकेदार की होगी।

43. यदि निविदाकार द्वारा समयावधि में कार्य पूर्ण नही किया जाता है तो निविदा प्रपत्र अपेंडिक्स 2.10 कंडिका 15 के अनुसार अर्थदण्ड की कार्यवाही की जावेगी।

44. निविदा से संबंधित किसी भी वाद–विवाद पर सक्षम अधिकारी का निर्णय अंतिम मान्य होगा।

45. कार्य प्रारंभ होने के पूर्व निर्माणाधीन स्थिति में एवं कार्य समापन के उपरान्त विभिन्न स्तर पर फोटोग्राफी एवं विडियो ग्राफी कराना अनिवार्य होगा।

46. वर्क प्रोगाम अनुसार पाक्षिक प्रगति की समीक्षा की जावेगी । कार्य की वर्क प्रोगाम अनुसार वांछित लक्ष्य प्राप्त न होने पर समय के पूर्व अनुबंध निरस्त किया जा सकेगा ।

47. लैब के निर्माण कार्य 04 माह में पूर्ण किया जाना अनिवार्य है।

48. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार नेंशनल बिलडिग कोड आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 हायर सेफटी निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होंगा।

कार्यपालन यंत्री
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा
संभाग क0–1 छिन्दवाड़ा